(GI-1, GI-2, GI-3, GI-4, VI-1 & SI-1)

DATE: 26.08.2019 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : AUDITING

DIVISION – A (MULTIPLE CHOICE QUESTIONS)

Answer (1-20) carry 1 Mark each
Answer (21-25) carry 2 Marks each

(1) Ans. c
(2) Ans. d
(3) Ans. b
(4) Ans. d
(5) Ans. a
(6) Ans. b
(7) Ans. b
(8) Ans. c
(9) Ans. d
(10) Ans. c
(11) Ans. d
(12) Ans. b
(13) Ans. c
(14) Ans. d
(15) Ans. a
(16) Ans. a
(17) Ans. c
(18) Ans. a
(19) Ans. a
(20) Ans. c
(21) Ans. c
(22) Ans. d
(23) Ans. b
(24) Ans. d
(25) Ans. b

Division B-Descriptive Questions
Question No. 1 is compulsory
Attempt any four questions from the Rest.

Answer 1:

Examine with reasons (in short) whether the following statements are correct or incorrect : (Attempt any 7 out of 8)

(i) **गलत** : धोखाधड़ी में इसे छुपाने के लिए डिजाइन आधुनिक तथा ध्यानपूर्वक गठित योजना लिप्त हो सकती है। इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया एक जानबूझकर मिथ्या विवरण की खोज के लिए अप्रभावी हो सकता है जिसमें उदाहरण के लिए प्रपत्र का असत्यकरण के लिए सांठगांठ हो सकती है जो अकेंक्षक को यह विश्वास दिला सकता है कि अंकेक्षण साक्ष्य वैद्य है जब यह नहीं है। अकेंक्षक प्रपत्र की प्रमाणिकता में ना ही तो प्रशिक्षित ना ही विशेषज्ञ होने की अपेक्षा है।

(ii) **गलत :** एक अंकेक्षण आरोपित गलत करने के लिए एक अधिकारिक अन्वेषण नहीं है। तदानुसार, एक अंकेक्षक को विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं दिया गया, जैसे खोज का अधिकार जो एक अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है।

(iii) **गलत :** कठिनाई, समय अथवा लिप्त लागत एक अंकेक्षण प्रक्रिया जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है, को हटाने के लिए स्वयं में अंकेक्षक के लिए वैद्य कारण नहीं है।
उपयुक्त योजना अंकेक्षण का परिचालन के लिए पर्याप्त संचय तथा सूचना की प्रासंगिकता तथा इसका मूल्य समय के साथ कम हो जाता है तथा सूचना की विश्वसनीयता तथा इसकी लागत के मध्य संतुलन बनाना होता है।

(iv) **गलत :** अंकेक्षक को अपने कार्य की योजना बनाना चाहिए जो उसे एक प्रभावी तथा समयबद्ध तरीका में प्रभावी अंकेक्षक का परिचालन में समर्थ करता है। योजना मुवक्किल के व्यापार के ज्ञान पर आधारित होना चाहिए।

(v) **सही :** SA-300, ''वित्तीय विवरण की अंकेक्षण की योजना'' के अनुसार योजना एक अंकेक्षण का अलग चरण नहीं है, परन्तु एक लगातार तथा दोहराने वाली प्रक्रिया है जो प्रायः गत अंकेक्षण की पूर्णता के पश्चात (अथवा के सम्बन्ध में) एक दम आरम्भ होता है तथा चालू अंकेक्षण लिप्तता की पूर्णता तक जारी रहता है।

(vi) **गलत :** अंकेक्षक अंकेक्षण प्रपत्रीकरण के भाग के रू॰ में इकाई के रिकार्ड की प्रतिलिपि (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट संविदा तथा समझौता सम्मिलित नहीं हो सकता) अंकेक्षण प्रपत्रीकरण इकाई का लेखांकन रिकार्ड का स्थानापन्न नहीं है।

(vii) **गलत :** SQC 1 ''फर्म के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का अंकेक्षण तथा समीक्षा अन्य आश्वासन तथा सम्बन्धित सेवा अंकेक्षण फाइलों के समूह के समयबद्ध पूर्णता के लिये फर्मो को नीतिया तथा प्रक्रियाऐं स्थापित करने की आवश्यकता है। फर्म का अंतिम अंकेक्षण फाइल की पूर्णता के लिए उपयुक्त समय सीमा अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् साधारणतः 60 दिवस से ज्यादा नहीं है।

(viii) **गलत :** जब अंकेक्षक ने निर्धारित किया है कि अभिकथन स्तर पर सारवान मिथ्या विवरण का समीक्षा जोखिम एक महत्वपूर्ण जोखिम है, अंकेक्षक मौलिक प्रक्रिया का निष्पादन करेगा जो उस जोखिम से विशेष रूप से प्रत्युत्तर में है, जब एक महत्वपूर्ण जोखिम से दृष्टिकोण केवल मौलिक दृष्टिकोण से मिलकर बना है। इन प्रक्रियाओं में विवरण का परीक्षण सम्मिलित होगा।

{One Mark for Correct or Incorrect and 1 Mark for Explanation}

Answer 2:

(a) यथार्थपूर्वक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया : यथार्थपूर्वक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया आमतौर पर सौदों के बडे परिमाप पर लागू होते है जो अधिक समय तक अनुमानयोग्य होते है। योजनाबद्ध विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का उपयोग इस अपेक्षा पर आधारित है कि डाटा के मध्य सम्बन्ध विद्यमान है तथा विपरीत ज्ञात स्थिति के अभाव में जारी रहता है। यद्यपि, एक विशेष विश्लेषणात्मक प्रक्रिया की उपयुक्तता अंकेक्षक की मिथ्या विवरण को खोजने में समीक्षा कितनी प्रभावी है, पर निर्भर होगी जो व्यक्तिगत रूप से अथवा जब अन्य मिथ्या विवरण के साथ योग किया जाता वित्तीय विवरण को सारवान रूप से मिथ्या वर्णित कर सकता है। **{2 M}**

कुछ मामलों में एक गैर आधुनिक अनुमान सूचक मॉडल एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जहां पर एक इकाई की अवधि भर में वेतन की निश्चित दर पर कर्मचारियों की ज्ञात संख्या है, अंकेक्षक के लिए शुद्धता की उच्च डिग्री के साथ अवधि के लिए कुल पे रोल लागत का अनुमान लगाने में इस डाटा का उपयोग करना अंकेक्षक के लिए संभव हो सकता है जो वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मद के लिए अंकेक्षण साक्ष्य को प्रदान करना तथा पे रोल पर विवरण के परीक्षण की आवश्यकता को कम करना है। वृहत रूप से मान्यता व्यापार अनुपात (जैसे खुदरा इकाइयों के विभिन्न प्रकार का लाभ मार्जिन) को लेखांकित राशि की उचितता के समर्थन में साक्ष्य को प्रदान करने के लिए यथार्थवादी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। **{1 M}**

Answer:

(b) अंकेक्षण की प्रमुख उपयोगिता विश्वसनीय वित्तीय विवरण में है जिसके आधार पर कार्य स्थिति को समझना सरल है। स्पष्ट उपयोगिता के अतिरिक्त, अंकेक्षण के अन्य लाभ है। इनमें से उन पर उधम तथा संस्था जहां पर अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है कुछ अथवा सभी काफी मूल्य के है, इनमें से कुछ लाभ को नीचे दिया है :

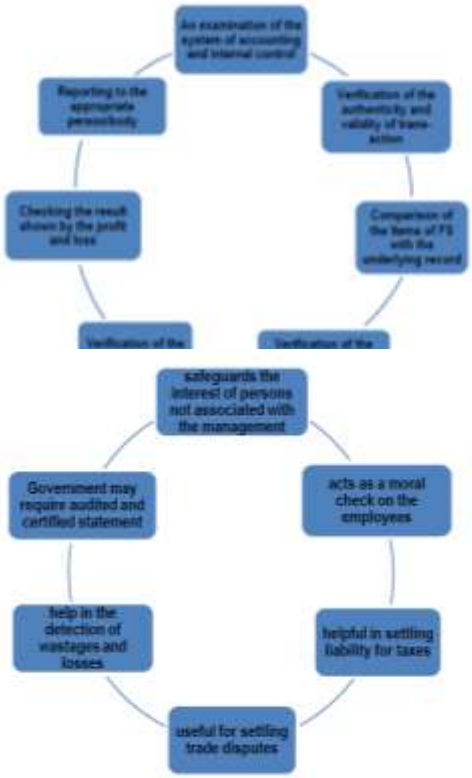

(a) यह इकाई के प्रबंधन के साथ जुडे व्यक्ति का वित्तीय हित का संरक्षण करता है चाहे वे साझेदार है अथवा अंशधारक, बैंकर्स, वित्तीय संस्थान, जनता इत्यादि है।

(b) यह गबन करने के लिए कर्मचारियों पर नैतिक जांच के रूप में कार्यवाही करता है।

(c) लेखा का अंकेक्षित विवरण कर की दायित्व का निपटारा ऋण की सौदेबाजी तथा एक व्यापार के लिए क्रय प्रतिफल के निर्धारण के लिए सहायक है।

(d) यह सम्पत्ति की अग्नि अथवा अन्य आपदा के द्वारा कोई क्षति के सम्बन्ध में तथा उच्च मजदूरी अथवा बोनस के लिए व्यापार विवाद का निपटारा में भी उपयोगी है।

(e) एक अंकेक्षण विभिन्न तरीके जिनसे इनकी जांच की विशेष रूप से वह जो आंतरिक नियंत्रण माप अथवा आंतरिक जांच का अभाव अथवा अपर्याप्तता के कारण को दिखाने के लिए विनिष्ट तथा हानि की खोज में सहायता कर सकता है।

(f) अंकेक्षण ज्ञात करता है क्या लेखा की आवश्यक पुस्तक तथा सहायक रिकार्ड को सही ढंग से रखा है तथा ग्राहक को इस सम्बन्ध में त्रुटियां अथवा अपर्याप्तता को पूरा करने में सहायता करता है।

(g) एक समीक्षा कार्य के रूप में अंकेक्षण संस्था में विभिन्न नियंत्रण की विद्यमानता तथा परिचालन की समीक्षा करता है तथा उनमें कमजोरी, अपर्याप्तता इत्यादि का प्रतिवेदन करता है।

(h) अंकेक्षित खाता साझेदार का प्रवेश अथवा मृत्यु के समय खाता का निपटारा में बहुत सहायक है।

(i) सरकार एक विशेष व्यापार के लिए सहायता अथवा लाइसेंस को जारी करने से पूर्व अंकेक्षित तथा प्रमाणित विवरण की मांग कर सकती है।

{Any 8 points each 1/2 Mark}

Answer:

(c) अंकेक्षक से अंकेक्षण जोखिम को शून्य तक करने की अपेक्षा नहीं की जाती तथा ना ही की जा सकती है तथा इसलिए वित्तीय विवरण से पूर्ण आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता कि वित्तीय विवरण धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारण सरवान मिथ्या विवरण से मुक्त विवरण से मुक्त है। ऐसा है कि क्योंकि अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमायें हैं। यह एक अंकेक्षण की अर्न्तनिहित परिसीमा के कारण है :

(i) **वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रकृति** : वित्तीय विवरण की तैयारी में इकाई की तथ्यों तथा परिस्थितियों का इकाई की लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता को लागू करने में प्रबन्धन द्वारा निर्णयन लिप्त है। इसके अतिरिक्त, कई वित्तीय विवरण मदों में विषयपरक निर्णय अथवा समीक्षा अथवा अनिश्चितता की डिग्री लिप्त है तथा स्वीकार्य व्याख्या अथवा निर्णयन की श्रृंखला हो सकती है जिसे किया जा सकता है।

(ii) **अंकेक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृति** : अंकेक्षण साक्ष्य को प्राप्त करने की अंकेक्षक की योग्यता पर व्यवहारिक तथा कानूनी सीमा है। उदाहरण के लिए :

1. यह संभावना है कि प्रबंधन अथवा अन्य जानबूझकर अथवा अनजाने में पूर्ण सूचना को प्रदान ना करे जो वित्तीय विवरण की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है अथवा जिसका अनुरोध अंकेक्षक द्वारा किया है।
2. धोखाधडी में उसे छुपाने के लिए अनुरोध अत्याधुनिक तथा ध्यानपूर्वक डिजाइन योजना लिप्त है। इसलिए अंकेक्षण साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त अंकेक्षण प्रक्रिया एक जानबूझकर मिथ्या विवरण की खोज के लिए अप्रभावी हो सकती है, उदाहरण के लिए प्रपत्रीकरण को असत्य करने के लिए सांठगांठ हो सकती है जो अंकेक्षण को यह विश्वास दिला सकती है कि अंकेक्षण साक्ष्य वैध है जबकि यह है नहीं। अंकेक्षक ना ही प्रशिक्षित ना ही प्रपत्र के प्रमाणीकरण में दक्ष है।
3. एक अंकेक्षण आरोपित गलत करने में एक अधिकारिक अन्वेषण नहीं है, तदानुसार, अंकेक्षक को विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है जैसे खोज का अधिकार जो कि एक अन्वेषण के लिए आवश्यक हो सकता है।

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग की समयबद्धता तथा लाभ तथा लागत के मध्य संतुलन : कठिनाई, समय अथवा लिप्त लागत का मामला स्वयं में अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण प्रक्रिया को छोडने का वैध आधार नहीं है जहां पर कोई विकल्प नहीं है।

उपयुक्त योजना अंकेक्षण का परिचालन के लिए उपलब्ध पर्याप्त समय तथा संसाधन को बनाने में सहायता करते है। इसके बावजूद, सूचना की प्रासंगिकता, तथा इसका मूल्य समय के साथ कम होता है तथा सूचना की विश्वसनीयता तथा इसकी लागत के मध्य संतुलन नहीं है।

(iv) अन्य मामले जो एक अंकेक्षण की सीमा को प्रभावित करते है : कुछ विषय वस्तुओं के मामले में, सारवान मिथ्या विवरण को खोजने की अंकेक्षक की परिसीमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अभिकथन अथवा विषय वस्तु में सम्मिलित है;

- धोखाधडी विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंधन का शामिल होना अथवा सांठगांठ
- संबन्धित पक्ष संबंध तथा सौदे की विद्यमानता तथा पूर्णता
- कानून तथा अधिनियमों का गैर अनुपालन का घटित होना
- भावी घटना अथवा स्थिति जो एक इकाई को चलायमान संस्था को जारी नहीं रखती।

{Each Point 1 Mark}

Answer:

(d) **एक अंकेक्षण की योजना में एक अंकेक्षण योजना को विकसित करने तथा लिप्तता के लिए सम्पूर्ण अंकेक्षण वयूहरचना को स्थापित करता है**

पर्याप्त योजना निम्न सहित कई तरीके में वित्तीय विवरण का अंकेक्षण को लाभ पहुंचाता है :

1. अंकेक्षक को अंकेक्षण का महत्वपूर्ण क्षेत्र का अपयुक्त ध्यान देने में सहायता करते है।
2. अंकेक्षक समयबद्ध आधार पर भावी समस्या की पहचान तथा सुलझाने में सहायता करता है।
3. अंकेक्षक को अंकेक्षण लिप्तता को सही ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता करता है ताकि इसे प्रभावी तथा कुशल तरीके में निष्पादित किया जा सके।

{Each Point 1/2 Mark}

4. प्रत्याशित जोखिम के प्रत्युत्तर में सक्षमता तथा सक्षमता का उपयुक्त स्तर के साथ लिप्तता दल सदस्यों का चयन में सहायता करना।
5. लिप्तता दल सदस्यों का निर्देश तथा पर्यवेक्षण का सुलभ करना तथा अपने कार्य की समीक्षा।
6. जहां उपयुक्त हो, अवयवों तथा विशेषज्ञों की अंकेक्षक द्वारा किये गये कार्य के समन्वय में सहायता करना।

Answer 3:

(a) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 13 की धारा 141(3)(c) निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति जो कम्पनी का अधिकार अथवा कर्मचारी का साझेदार अथवा रोजगार में है जो एक कम्पनी का अंकेक्षक के रूप में कार्यवाही के लिए अयोग्य होगा। धारा 141 की उपधारा 4 प्रदान करता है कि एक अंकेक्षक जो अपनी नियुक्ति के पश्चात् धारा 141 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अयोग्यता के तहत है, वह एक अंकेक्षक के रूप में अपने पद को खली किया माना जायेगा। **{2 M}**

निष्कर्ष : वर्तमान मामले में, Laxman Limited का एक अंकेक्षक श्री A ने Laxman Limited का वित्त प्रबंधक श्री B के साथ साझेदार के रूप में सम्मिलित हुआ। दी गयी स्थिति में धारा 141 की उपधारा (3)(c) प्रभावित हुई तथा इसलिए, उसे धारा 141 की उपधारा (4) के अनुसार Laxman Limited का अंकेक्षक का पद को छोड़ा हुआ माना है। **{2 M}**

Answer:

(b) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140 की उपधारा (2) की गैर अनुपालना के लिए अंकेक्षक जुर्माना से सजा योग्य होगा जो 50,000 रू. से कम नहीं होगा अथवा अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम है परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 140(3) के अन्तर्गत 5,00,000 लाख रू. तक हो सकती है। **{2 M}**

निष्कर्ष : इसलिए, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(3) के अन्तर्गत जुर्माना 30,000 रू. से कम नहीं होगा परन्तु 5,00,000 लाख रू. तक हो सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) **प्रावधान तथा स्पष्टीकरण** : सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(7) के प्रावधान के द्वारा संचालित है जो वर्णित करता है कि सरकारी कम्पनी के मामले में प्रथम अंकेक्षक को कम्पनी की पंजीकरण की तिथि से 60 दिवस के अंदर नियंत्रक तथा महालेखाकार के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। **{2 M}**

निष्कर्ष : इसलिए, Bhartiya Petrol Ltd. का निदेशक मंडल द्वारा किया प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति व्यर्थ है। **{1 M}**

Answer:

(d) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 140(1) के अन्तर्गत अंकेक्षक को हटाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमतिः अंकेक्षक को उसकी अवधि से पूर्व अर्थात् उसके रिपोर्ट को देने से पूर्व हटाना एक गंभीर मामला है तथा उसकी स्वतंत्रता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। **{1 M}**

आगे, हित का ठकराव के मामले में, अंशधारक अपने हित में अंकेक्षकों को हटा सकते है।
इसलिए, कानून ने सुरक्षा प्रदान की है ताकि केंद्रीय सरकार इस प्रकार की कार्यवाही के लिए कारण जान सके तथा यदि संतुष्ट नहीं है, तो अनुमति नहीं देगी। **{1 M}**

दूसरी तरफ यदि अंकेक्षक ने अपनी पूरी कर ली है अर्थात् उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसके पश्चात् उसे पुनः नियुक्त नहीं किया, तब केंद्रीय सरकार उसके हस्तक्षेप के लिए गंभीर नहीं है। **{1 M}**

Answer 4:

(a) कुछ मामलों में पड़ताल करने की अंकेक्षक का कर्तव्य : अंकेक्षक का निम्न मामलों में पड़ताल करने का कर्तव्य है–

(a) क्या प्रतिभूति के आधार पर कम्पनी द्वारा लिया गया ऋण तथा अग्रिम को उपयुक्त रूप से आरक्षित किया तथा क्या शर्त जिस पर उन्हें किया कम्पनी अथवा इसके सदस्यों के हित का पूर्वाग्रह में है;

(b) क्या कम्पनी का सौदा जिन्हें केवल पुस्तक प्रविष्टि के द्वारा किया है कम्पनी का हितों का पूर्वाग्रह में है;

(c) क्या कम्पनी एक निवेश कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी नहीं है, क्या कम्पनी की सम्पत्ति जो अंशों, ऋणपत्र तथा अन्य प्रतिभूति से मिलकर बनी है, को कम्पनी द्वारा क्रय कीमत से कम पर बेचा है;

(d) क्या कम्पनी द्वारा ऋण तथा अग्रिम को जमा के रूप में दिखाया गया है;

(e) क्या व्यक्तिगत व्यय को राजस्व खाता से वसूल किया है;

(f) जहां पर कम्पनी का पुस्तको तथा प्रपत्र में वर्णित किया है कि किसी अंश को नकद के लिए आवंटित किया है, क्या इस प्रकार के आवंटन के सम्बन्ध में नकद को वास्तव में प्राप्त किया तथा यदि नकद को वास्तव में प्राप्त नहीं किया, क्या लेखा पुस्तकों तथा तुलनपत्र में वर्णित स्थिति सही, नियमित है तथा भ्रामक नहीं है।

{Any 4 points 1 Mark Each}

Answer:

(b) धोखाधडी के परिणाम से सारवान मिथ्या विवरण को ना खोजने को जोखिम त्रुटि के परिणाम से ना खोजने की जोखिम से अधिक है। यह इसलिए क्योंकि धोखाधडी ने इसे छुपाने के लिए अत्याधुनिक तथा ध्यानपूर्वक आयोजित योजना लिप्त होती है जैसे जालसाजी, सौदे को रिकॉर्ड करने में जानबूझकर विफलता अथवा अंकेक्षक को जानबूझकर मिथ्या विवरण करना। छुपाने का इस प्रकार का प्रयास खोजने में ज्यादा कठिन हो सकता है जब सांठगांठ के साथ संलग्न है। सांठगांठ अंकेक्षक को विश्वास दिला सकता है कि अंकेक्षण साक्ष्य व्यापक है जबकि वास्तव में यह असत्य है। एक धोखाधडी को खोजने में अंकेक्षक की योग्यता धोखाधडी करने वाली की कुधलता, गड़बड़ी की आवृति तथा हद, लिप्त सांठगाठ की डिग्री, गड़बड़ की गयी व्यक्तिगत राशि का तुलनात्मक आकार तथा लिप्त इन व्यक्तियों की वरीयता पर निर्भर है जबकि अंकेक्षक की जाने वाली धोखाधड़ी की भावी अवसर की पहचान करने में समर्थ हो सकता है, अंकेक्षक के लिए निर्धारित करना कठिन है क्या निर्णय क्षेत्र में मिथ्या विवरण जैसा लेखांकन अनुमान धोखाधडी के कारण है अथवा त्रुटि के कारण है।

{2 M}

{1 M}

Answer:

(c) **मामला का जोर पैराग्राफ** – अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित एक पैरा जो वित्तीय विवरण में उपयुक्त रूप से प्रकट अथवा प्रस्तुत एक मामला को संदर्भित किया जो अंकेक्षक का निर्णयन में इस प्रकार का महत्व का है जो वित्तीय विवरण की उपयोगकर्ता की समझ का आधारभूत है।

{1 M}

अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला का जोर का पैरा

यदि अंकेक्षक उपयोगकर्ता का ध्यान अंकेक्षक के निर्णयन में वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अथवा प्रकट मामला की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इस प्रकार का महत्व है कि यह वित्तीय विवरण की उपयोगकर्ता की समझ का आधारभूत है अंकेक्षक, अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला का जोर पैराग्राफ को सम्मिलित करेगाः–

(a) अंकेक्षक को मामला का परिणाम के रूप में SA 705 के अनुसार राय का संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होगी, तथा

(b) जब SA 701 लागू होता है, मामला का अंकेक्षक की रिपोर्ट में सप्रेषित किये जाने वाले प्रमुख अंकेक्षण मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया।

{1 M}

मामला का जोर पैराग्राफ के लिए पृथक खंड

जब अंकेक्षक अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामला का जोर पैराग्राफ को सम्मिलित करता है अंकेक्षक :

(a) उपयुक्त शीर्षक के साथ अंकेक्षक की रिपोर्ट का पृथक खंड के अंदर पैराग्राफ मामला का जोर सम्मिलित है;

(b) पैराग्राफ में जोर दिये जाने वाले मामला का एक स्पष्ट संदर्भ सम्मिलित होगा तथा जहां प्रासंगिक प्रकटीकरण जो मामला को पूर्णतः वर्णित करता है, को वित्तीय विवरण में पाया जा सकता है। पैराग्राफ वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अथवा प्रकट सूचना को संदर्भित करेगा; तथा

(c) संकेत देगा कि अंकेक्षक की राय को जोर दिये जाने वाले मामले के सम्बन्ध में संशोधित नहीं किया।

{2 M}

Answer:

(d) **नकद की हेराफेरी** : नकद की हेराफेरी को निम्न तरीका में सामान्यतः पाया जाता है :

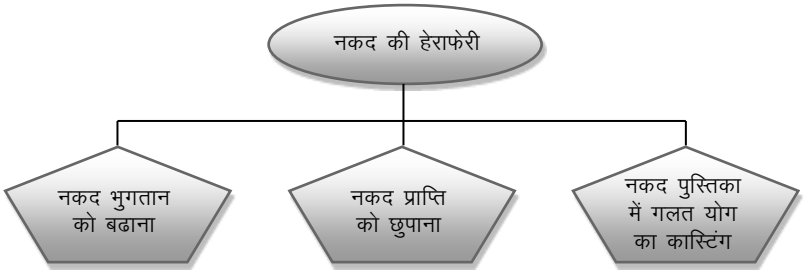

(a) **नकद भुगतान को बढ़ाने के द्वारा**

भुगतान का बढाने का उदाहरणः

(1) कृत्रिम वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना

(2) वाउचर्स के विरूद्ध भुगतान करना, जिसकी राशि को बढाया गया

(3) मजदूरी तालिका के योग में कृत्रिम श्रमिकों के नाम शामिल करने या अन्य किसी रूप में बढाने के द्वारा हेराफेरी करना।

(4) लघु नकद व्यय का योग की कास्टिंग तथा विस्तृत कॉलम का योग का आधिक्य में समायोजन करने ताकि क्रॉस योग मेल को दिखाता है।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(b) **नगद प्राप्ति को छुपाने के द्वारा**

रसीदें कैसे दबा दी जाती है इसकी कुछ तकनीक हैः

(1) Teeming and Lading : एक ग्राहक से प्राप्त राशि जिसे गबन किया, तथा साथ में एक अन्य ग्राहक से प्राप्त धन की खोज को रोकने के लिए ग्राहक जिसने पहले भुगतान किया ग्राहक का खाते से क्रेडिट किया तथा उसके पश्चात् द्वितीय ग्राहक के खाता में क्रेडिट किया तथा इस प्रकार की प्रेक्टिस को जारी किया ताकि कोई भी खाता समय की अवधि के लिए भुगतान के लिए अदत है, जो प्रबन्धन या तो उसे खाता का विवरण को भेजता है अथवा उसे संप्रेषण किया।

(2) गैर प्राधिकृत अथवा कृत्रिम छूट, भत्ता, कटौती इत्यादि का ग्राहक का खाता में समायोजन करना तथा उसके द्वारा भुगतान राशि का गबन।

(3) इसके शेष के सम्बन्ध में ऋण का अपलेखन जिसके विरूद्ध नकद को पहले से प्राप्त किया परन्तु गबन किया गया।

(4) नकद बिक्री का पूर्ण रूप से लेखांकन नहीं करना।

(5) विविध प्राप्ति के लिए लेखांकन नहीं उदाहरणतः स्क्रेप की बिक्री, कर्मचारियों को आबंटित आवास इत्यादि

(6) सम्पूर्ण रूप में सम्पत्ति का अपलेखन, उसे बाद में बेचना तथा राशि का गबन।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

(c) **नकद पुस्तिका में गलत योग की कॉस्टिंग** **{1 M}**

Answer 5:

(a) **लेखांकन का चलायमान संस्था आधार**

लेखांकन का चलायमान संस्था आधार के अन्तर्गत वित्तीय विवरण की मान्यता पर तैयार किया जाता है कि इकाई चलायमान संस्था है तथा आने वाले भविष्य के लिए परिचालन को जारी रखेगी। जब लेखांकन का चलायमान संस्था का उपयोग उपयुक्त है, सम्पत्ति तथा दायित्व को आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है कि इकाई व्यापार के सामान्य व्यवहार में अपनी सम्पत्ति को वसूल करने तथा दायित्व का निर्वाहन करेगा।

चलायमान संस्था के सम्बन्ध में अंकेक्षक का उद्देश्य हैः

{1 M}

(i) प्रबंधन तथा जहां उपयुक्त हो संचालन से प्रभारित व्यक्तियों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करना कि वे वित्तीय विवरण की तैयारी तथा अंकेक्षक को प्रदान सूचना की पूर्णता के लिए अपने कर्तव्यों के लिए अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते है;

(ii) लिखित बयानों के माध्यम से वित्तीय विवरण में विशिष्ट कथनों से संबंधित अभिकथन समर्पित करना यदि अंकेक्षक द्वारा आवश्यकता निर्धारित की अथवा अन्य SAs द्वारा आवश्यक है तथा

(iii) प्रबंधन द्वारा प्रदान लिखित प्रतिवेदन पर उपयुक्त रूप से प्रत्युत्तर करना अथवा यदि प्रबंधन अथवा जहां उपयुक्त है संचालन से प्रभारित व्यक्ति अंकेक्षक के द्वारा आवेदित लिखित प्रतिवेदन प्रदान नहीं करता।

{Any 2 points 1 Mark Each}

Answer:

(b) वित्तीय विवरण की तिथि तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के मध्य उत्पन्न घटनाओं के सम्बन्ध में अंकेक्षण प्रक्रिया

अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य की वित्तीय विवरण की तिथि तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट के मध्य उत्पन्न सभी घटना जिसकी वित्तीय विवरण में समायोजन की आवश्यकता है अथवा प्रकटीकरण की आवश्यकता की पहचान कर ली है, को प्राप्त करने के लिए डिजाइन अंकेक्षण प्रक्रिया को निष्पादित करेगा। **{1 M}**

यद्यपि अंकेक्षक से मामले जिस पर पहले से अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू किया होने संतोषजनक निष्कर्ष प्रदान किया, पर अतिरिक्त अंकेक्षण प्रक्रिया को निष्पादित करने की अपेक्षा है।

अंकेक्षक उपरोक्त आवश्यक प्रक्रिया का निष्पादन करेगा ताकि वे वित्तीय विवरण की तिथि से अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि अथवा जब नजदीक जहां तक व्यवहारिक हो, को कवर कर सके। अंकेक्षक अंकेक्षण की जोखिम समीक्षा को हिसाब में लेगा जिसमें निम्न सम्मिलित होगा : **{1 M}**

(a) किसी प्रक्रिया की समझ को प्राप्त करना जिसे प्रबन्धन ने स्थापित किया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाद की घटना की पहचान की जाये।

(b) प्रबन्धन तथा जहां उपयुक्त हो संचालन से प्रभारित व्यक्तियों से पड़ताल करना क्या बाद की घटना उत्पन्न हुई है जो वित्तीय विवरण को प्रभावित करे।

(c) इकाई का स्वामी, प्रबंधन तथा संचालन से प्रभावित की सभा के कार्यवृत्त को पढना जिसे वित्तीय विवरण की तिथि के पश्चात् किया तथा ऐसे मामले जिन पर मीटिंग में विचार किये लेकिन जिनके लिये कार्यवृत्त अभी तक उपलब्ध नहीं है के बारे में जांच करना।

(d) इकाई के नवीनतम उत्तरवर्ती वित्तीय विवरणों को पढ़ना यदि कोई है।

{Any 4 points 1/2 Mark Each}

Answer:

(c) किसे आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, धारा 138 के अनुसार, आंतरिक अंकेक्षक या तो चाटर्ड अकाउटेंड अथवा लागत लेखांकन (चाहे प्रेक्टिस में है अथवा नहीं। अथवा इस प्रकार का पेशेवर से हो सकता है जैसा बार्ड द्वारा कम्पनी का कार्य तथा गतिविधियों का आंतरिक अंकेक्षण करने के लिए नियुक्त किया है। आंतरिक कम्पनी का कर्मचारी हो भी सकता है अथवा नहीं। **{1 M}**

आंतरिक अंकेक्षण कार्य : एक इकाई का कार्य जो इकाई का संचालन जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया का आंकलन तथा प्रभावदेयता को सुधारने के लिए डिजाइन गतिविधियों तथा आश्वासन को निष्पादित करता है।

आंतरिक अंकेक्षण कार्य का उद्देश्य तथा क्षेत्र : SA-610, ''एक आंतरिक अंकेक्षक का कार्य का उपयोग करना'' के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण कार्य के उद्देश्य वृहत रूप से परिवर्तित होता है तथा इकाई का आकार तथा संरचना पर है तथा प्रबंधन तथा जहां पर लागू हो संचालन से प्रभावित व्यक्तियों पर निर्भर है। **{1 M}**

आंतरिक अंकेक्षण कार्य का उद्देश्य तथा क्षेत्र में इकाई की संचालन प्रक्रिया, जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण का आंकलन तथा प्रभावेदयता को सुधारने के लिए डिजाइन आश्वासन तथा परामर्श गतिविधियां सम्मिलित है :

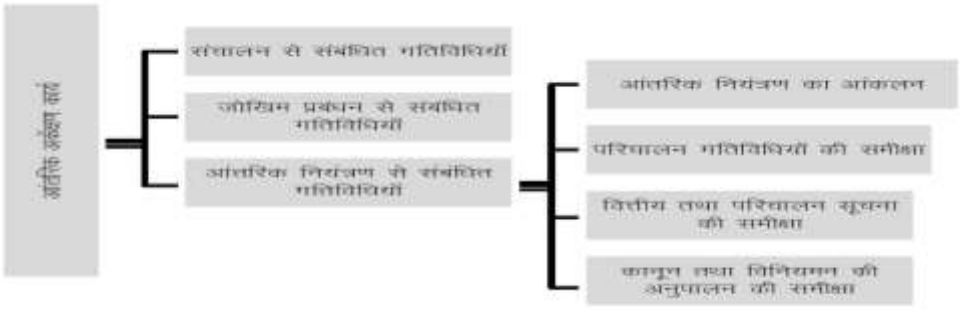

1. **संचालन से सम्बन्धित गतिविधियां** : आंतरिक अंकेक्षण कार्य, संचालन से प्रभारित तथा आंतरिक अंकेक्षक तथा प्रबंधन के मध्य संप्रेषण की प्रभावदेयता तथा संस्था की उपयुक्त क्षेत्र की संप्रेषण जोखिम तथा नियंत्रण सूचना, कुशलता प्रबंधन तथा जवाबदेही, नैतिकता तथा मूल्य पर उद्देश्य की पूर्णता में संचालन प्रोसेस की समीक्षा कर सकता है। **{1/2 M}**

2. **जोखिम प्रबंधन से सम्बन्धित गतिविधियां :** आंतरिक अंकेक्षण कार्य आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन का सुधार में अंशदान तथा इकाई की सहायता कर सकता है (वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की प्रभावेदयता सहित)। आंतरिक अंकेक्षण कार्य धोखाधड़ी की खोज में इकाई की सहायता के लिए प्रक्रिया का निष्पादन कर सकता है। **{1/2 M}**

3. **आंतरिक नियंत्रण से सम्बन्धित गतिविधियां**

   (i) **आंतरिक नियंत्रण का आंकलन** – आंतरिक अंकेक्षण कार्य नियंत्रण की समीक्षा, के लिये विशिष्ट जिम्मेदारी निर्दिष्ट करता है, उनके परिचालन का मूल्यांकन तथा उनके सुधार की अनुशंसा करता है। ऐसा करने में, आंतरिक अंकेक्षक कार्य नियंत्रण का आश्वासन देता है। उदाहरण के लिये आंतरिक अंकेक्षण कार्य नियंत्रण जो अंकेक्षण से प्रासंगिक है सहित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावदेयता तथा कार्यान्वयन डिजाइन के सम्बन्ध में प्रबंधन तथा संचालन से प्रभारित व्यक्ति को प्रदान अन्य प्रक्रिया अथवा योजना तथा टेस्ट का निष्पादन को आंतरिक अंकेक्षण प्रदान करता है।

   (ii) **वित्तीय तथा परिचालन सूचना का परीक्षण –** आंतरिक अंकेक्षण कार्य को वित्तीय तथा परिचालन सूचना की पहचान, मान्यता, माप, वर्गीकरण तथा रिपोर्ट के लिए प्रयुक्त साधन की समीक्षा तथा सौदा, शेष तथा प्रक्रिया की विस्तृत टेस्टिंग सहित व्यक्तिगत मदों में विशिष्ट पड़ताल करने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

   (iii) **परिचालन गतिविधियों की समीक्षा** – आंतरिक अंकेक्षण कार्य को एक इकाई की गैर वित्तीय गतिविधियों सहित परिचालन गतिविधियों की मितव्ययता, कुशलता तथा प्रभावदेयता की समीक्षा के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

   (iv) **कानून तथा विनियमन के साथ अनुपालना की समीक्षा** – आंतरिक अंकेक्षण कार्य को कानून विनियमन तथा अन्य बाहरी आवश्यकता के साथ अनुपालना की समीक्षा तथा प्रबंधकीय नीतियां तथा निर्देश तथा अन्य आंतरिक आवश्यकता के साथ समीक्षा के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है।

{Any 2 points 1/2 Mark Each}

Answer:

(d) **अंकेक्षण प्रपत्रीकरण** : ''अंकेक्षण प्रपत्रीकरण'' पर SA 230, अंकेक्षण प्रपत्रीकरण निष्पादित अंकेक्षण का रिकार्ड, प्राप्त प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य तथा अंकेक्षक द्वारा पहुंचे निष्कर्ष को संदर्भित करता है (शब्द जैसे ''वर्किंग पेपर अथवा वर्कपेपर को कभी कभी प्रयुक्त किया जाता है)

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण की प्रकृति

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण प्रदान करता है : **{1 M}**

(a) अंकेक्षक का सम्पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के बारे एक निष्कर्ष के लिए अंकेक्षक का आधार का साक्ष्य तथा

(b) साक्ष्य की अंकेक्षण SAs तथा लागू कानूनी तथा विनियामक आवश्यकता के अनुसार योजनाबद्ध तथा निष्पादित किया।

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण का उद्देश्य

अंकेक्षण प्रपत्रीकरण का निम्न उद्देश्य है :

1. अंकेक्षण की योजना तथा निष्पादन में लिप्तता दल की सहायता।
2. अपने समीक्षा उत्तरदायित्व का निर्वाहन के तथा अंकेक्षण कार्य का निर्देश तथा पर्यवेक्षण के लिए लिप्तता दल के सदस्य में सहायता करना।
3. अपने कार्य के लिए जवाबदेह करने के लिए लिप्तता दल को समर्थ करना।
4. भावी अंकेक्षण का लगातार महत्व का मामला का रिकार्ड को रखना।
5. गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा तथा निरीक्षण का परिचालन को समर्थ करना।
6. लागू कानूनी, विनियामक अथवा अन्य आवश्यकता के अनुसार बाहरी निरीक्षण का परिचालन को समर्थ करना।

{Any 4 points 1/2 Mark Each}

Answer 6:

(a) यदि, धोखाधडी अथवा संदिग्ध धोखाधडी के परिणामतः एक मिथ्या विवरण के परिणाम के रूप में, अंकेक्षक के साथ असाधारण परिस्थिति में आती है, जो अंकेक्षण के रूप में, अंकेक्षक के साथ असाधारण परिस्थिति में आती है, जो अंकेक्षण का निष्पादन को चालू रखने में अंकेक्षक की योग्यता को प्रश्न में लाता है, अंकेक्षक :

(a) परिस्थिति में लागू पेशेवर तथा कानूनी उत्तरदायित्व का निर्धारण करना जिसमें सम्मिलित है क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है जिसने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामले में विनियामक प्राधिकरण का; **{1/2 M}**

(b) विचार किजिए क्या लिप्तता से हटना उपयुक्त है जहां पर लागू कानून अथवा विनियमन के अन्तर्गत संभव है; तथा **{1/2 M}**

(c) यदि अंकेक्षक हटता है :

(i) प्रबंधन के उपयुक्त स्तर तथा जो उसके लिये जिम्मेदार है के साथ अंकेक्षक की लिप्तता से हटाने तथा हटाने के लिये कारणों की चर्चा करे।

(ii) निर्धारण करें क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामलों में विनियामक प्राधिकरण को लिप्तता से अंकेक्षक का हटना तथा हटने का कारण को रिपोर्ट करने के लिए पेशेवर अथवा कानूनी आवश्यकता है।

(a) परिस्थिति में लागू पेशेवर तथा कानूनी उत्तरदायित्व का निर्धारण करें जिसमें सम्मिलित हैं क्या अंकेक्षक की व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की है अथवा कुछ मामलों में विनियामन प्राधिकरण को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है;

(b) विचार करें क्या लिप्तता से हटने का उपयुक्त स्तर है जहां पर लागू कानून अथवा विनियमन के अन्तर्गत हटना संभव है तथा **{2 M}**

(c) यदि अंकेक्षक हटता है :

(i) प्रबंधन का उपयुक्त स्तर तथा संचालन से प्रभारित व्यक्तियों की लिप्तता से अंकेक्षक का हटना तथा हटना का कारण की चर्चा करना; तथा

(ii) निर्धारण करें क्या व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिन्होंने अंकेक्षण नियुक्ति की अथवा कुछ मामलों में विनियामक प्राधिकरण को लिप्तता से अंकेक्षक की नियुक्ति तथा हटने का कारण को रिपोर्ट करने की पेशेवर अथवा कानूनी आवश्यकता है।

Answer:

(b) **मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध तकनीक** : मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का डिजाइन विश्वसनीय डाटा की उपलब्धता तथा अंकेक्षण दल का अनुभव तथा सृजनता तक सीमित है। मौलिक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया सामान्यतः निम्न में से एक स्वरूप लेता है।

- **प्रवृति विश्लेषण** – एक सामान्य रूप से प्रयुक्त तकनीक चालू डाटा का गत अवधि प्रक्रिया के साथ तुलना है अथवा दो अथवा अधिक पूर्व अवधि शेष में प्रवृति के साथ तुलना है। हम आंकलन करते है क्या एक खाता का वर्तमान शेष उस खाता के लिए गत शेष के साथ स्थापित प्रवाह के साथ लाइन में है अथवा फेक्टर्स की समझ पर आधारित है जो खाता को बदलता है। **{1 M}**

- **अनुपात विश्लेषण** – जैसे राजस्व तथा व्यय खाता है उसी प्रकार विश्लेषण सम्पत्ति तथा दायित्व खाता उपयोगी है। एक वैयक्तिक चिट्ठा स्वयं में अनुमान करने के लिए कठिन है, परन्तु एक अन्य खाता में सम्बन्ध प्रायः अधिक पुर्वानुमान योग्य है। (उदाहरण : बिक्री से सम्बन्धित व्यापार प्राप्य शेष) अनुपात की समय पर तुलना की जा सकती है अथवा समूह के अंदर पृथक इकाईयों का अनुपात अथवा उसी उद्योग में अन्य कम्पनियों की अनुपात के साथ तुलना की जा सकती है। **{1 M}**
  - ➢ उदाहरण के लिए, वित्तीय अनुपात में सम्मिलित हो सकता है:
  - ➢ व्यापार प्राप्य अथवा इवेंटरी आवर्त
  - ➢ भाड़ा व्यय बिक्री राजस्व की प्रतिशत के रूप में
- **उचितता टेस्ट** – प्रवृत्ति विश्लेषण से हटकर, यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पूर्ण अवधि की घटना पर विश्वास नहीं करता, परन्तु विचाराधीन अंकेक्षण उसके लिए गैर वित्तीय डाटा पर निर्भर करता है (उदाहरणत : किराया आय का अनुमान के अभियोग दर अथवा आय अथवा व्यय का अनुमान लगाने के लिए ब्याज दर) यह टेस्ट प्रायः ज्यादा आय विवरण खाता तथा कुछ उर्पाजन अथवा पुर्व भुगतान खाता पर लागू है। **{1 M}**
- **संरचनात्मक मोडलिंग** – एक मोडलिंग टूल चालू खाता शेष का अनुमान लगाने के लिए पूर्व लेखांकन अवधि का वित्तीय तथा/अथवा गैर वित्तीय डाटा जो सांख्यिकी मॉडल को बनाता है। **{1 M}**

Answer:

(c) प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य

SA 701, ''अंकेक्षक की रिपोर्ट में प्रमुख अंकेक्षण मामलों का संप्रेषण के अनुसार, प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण का उद्देश्य जिसे निष्पादित किया, के बारे में ज्यादा पारदर्शिता का प्रदान करने का अंकेक्षक का रिपोर्ट का संप्रेषण मूल्य को बढ़ाया है। प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण एच्छिक उपयोगकर्ता को उन मामला में समझने में उसकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त सूचना को प्रदान करता है जो अंकेक्षक की पेशेवर निर्णयन में चालू अवधि का वित्तीय विवरण का अंकेक्षण में ज्यादा महत्व का है। प्रमुख अंकेक्षण मामला का संप्रेषण इकाई को समझने तथा अंकेक्षित वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय का क्षेत्र में एच्छिक उपयोगकर्ताओं की भी सहायता करता है। **{2 M}** **{1 M}**

Answer :

(d) एक NGO का अंकेक्षण की योजना बनाते हुए, अंकेक्षक निम्न पर ध्यान केन्द्रित कर सकता है :

(i) NGO का कार्य, इसका मिशन तथा विजन, परिचालन का क्षेत्र तथा वातावरण जिसमें यह परिचालित होती है, का ज्ञान।

(ii) हाल की संशोधन, परिपत्र, विधान से संबंधित न्यायिक निर्णय के सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रासंगिक विधान का ज्ञान को उपडेट करना।

(iii) संस्था का कानूनी स्वरूप तथा इसका पार्षद सीमा नियम, पार्षद अर्न्तनियम, नियम तथा विनियमन की समीक्षा।

(iv) NGO का संगठनात्मक चार्ट, तब वित्तीय तथा प्रशासकीय मेन्युल, प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम मार्गदर्शिका, फंडिंग एजेंसी आवश्यकता तथा फोरमेट, बजटरी नीतियां यदि कोई है, की समीक्षा।

(v) बोर्ड/प्रबंधकीय समिति/संचालन संस्था/प्रबंधन तथा उसकी समिति की मिनटों का परीक्षण ताकि वित्तीय रिकॉर्ड पर किसी निर्णय का प्रभाव को ज्ञात किया जा सके।

(vi) NGO के लिए विद्यमान लेखांकन प्रणाली, प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच का अध्ययन तथा उनके लागू करने का सत्यापन

(vii) अंकेक्षण उद्देश्य के लिए सारवानता स्तर की स्थापना

(viii) रिपोर्ट अथवा अन्य संप्रेषण की प्रकृति तथा समय

(ix) विशेषज्ञ तथा उनकी रिपोर्ट की लिप्तता

(x) गत वर्ष के अंकेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा।

{Any 8 points 1/2 Mark Each}

***